रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 1987/वैशाख 21, 1909
No. 223] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 1987/VAISAKHA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 मई, 1987

आदेश

का. आ. 462(अ):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्यान्नों से संबंधित निम्नलिखित दो आदेशों को तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात्:—

(1) चावल (गेहूं उत्पादों में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1958; और

(2) आयातित खाद्यान्न (अप्राधिकृत विक्रय का प्रतिषेध) आदेश 1958 :

परन्तु ऐसा विखण्डन :—

(क) उक्त आदेशों के पूर्व प्रवर्तन पर या उनके अधीन सम्यक्रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर; या

(ख) उक्त आदेशों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या बाध्यता पर; या

(ग) उक्त आदेशों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार ऐसे संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त आदेश विखंडित न किए गए हों।

[फा. सं. 3(3)/86-डी. एंड आर.-(I)]

जी. वी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Food)

New Delhi, the 11th May, 1987

ORDER

S.O. 462 (E) .—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds, with immediate effect, the following two Orders, relating to foodgrains, namely :—

(1) The Rice (Prohibition of Use in Wheat Products) Order, 1958; and

(2) The Imported Foodgrains (Prohibition of Unauthorised Sale) Order, 1958 :

Provided that such rescission shall not affect —

(a) the previous operation of the said Orders or anything duly done or suffered thereunder ; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Orders; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said orders ; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Orders had not been rescinded.

[F. No. 3 (3) |86-D&R-(I)]

G. V. VISWANATH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987